उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

संख्या : 571–कार्य/चौदह–पाकालि/2010–55–के/2010 दिनांकः 17, मई ,2010

कार्यालय–ज्ञाप

एतद्द्वारा वर्ष 2009–10 में 33/11 केवी उपकेन्द्रों के निर्माण एवं पुराने उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि के लक्ष्यों को पूर्ण न किये जाने के दृष्टिगत उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0 के उपकेन्द्रों के निर्माण हेतु प्रकिया को सरल बनाने हेतु निम्नानुसार प्रकिया अपनायी जायेगी :–

1. 33/11 केवी नये उपकेन्द्रों के प्राक्कलन की संरचना एवं उसकी स्वीकृति का अधिकार सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता (कार्य)/अधीक्षण अभियन्ता (वितरण) को होगें। जनपदीय कार्य हेतु अधीक्षण अभियन्ता, जानपद अधिकृत होगें।
2. प्राक्कलन एक साथ ही 33 केवी एवं 11 केवी के कार्य हेतु पार्ट 'A' एवं पार्ट 'B' के रूप में तैयार किये जाएगे एवं इनका कियान्वन भी एक ही निविदा के माध्यम से किया जाएगा। ई0टी0एफ0 से अनुमोदन प्राक्कलन की संरचना के उपरान्त ही कराया जाये।
3. कार्यो का सम्पादन विभागीय, सेमी ट्र्नकी (Semi Turnkey) अथवा पूर्णयता ट्र्नकी के आधार पर कराया जायेगा। सेमी ट्र्नकी (Semi Turnkey) के आधार पर कराये जाने की स्थिति में पोल, कन्डक्टर, 33 एवं 11 केवी के परिवर्तक, स्वीचगियर, आइसोलेटर (Isolator), इन्सूलेटर (Insuolater) की व्यवस्था केन्द्रीयकृत सामग्री व्यवस्था के अन्तर्गत ही रखी जायेगी तथा अन्य सामग्री एवं कार्य का कियान्वन (Execution) ठेकेदार द्वारा ही कराया जायेगा।
4. टर्नकी के आधार पर कराये जाने की स्थिति में यह आवश्यक होगा कि सभी प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों के विशिष्टीकरण/मेक, निविदा प्रपत्रों के साथ ही उपलब्ध कराये जायगें तथा प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता विभागीय अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
5. एक उपकेन्द्र के निर्माण के प्रस्ताव की दशा में स्वीकृति एवं निविदा के निस्तारण के समस्त अधिकार अधीक्षण अभियन्ता (कार्य)/अधीक्षण अभियन्ता (वितरण) में निहित होगें। यदि जनपद में एक से अधिक उपकेन्द्रों के निर्माण की निविदा एक ही साथ निकाली जानी है तो सम्बन्धित विद्युत वितरण निगम लि0 से केन्द्रीयकृत व्यवस्था के अन्दर ही कार्यवाही जायेगी। उपरोक्तानुसार जनपदीय कार्यो हेतु निविदा निस्तारण का अधिकार अधीक्षण अभियन्ता जानपद में निहित होगें।
6. 33/11 केवी लाईनों का निर्माण एवं विद्यमान 11 केवी लाईनों की री–ग्रुप्रिग का प्रस्ताव एवं कार्य, 33 केवी के कार्यो के साथ–साथ कराया जायेगा एवं इन सभी कार्यो के लिये एक ही निविदा जारी की जायेगी।
7. चूँकि ईटीएफ के बाद वित्तीय स्वीकृति के अधिकार अधीक्षण अभियन्ता को दिये जाने प्रस्तावित है अतः यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि जमीन सुनिश्चित होने व वित्तीय संस्थान से लोन व अन्यथा वित्तीय लिन्केज सुनिश्चित होने के पश्चात् ही ईटीएफ को प्रस्ताव प्रेषित किया जाये।
8. यह व्यवस्था मुख्यतः नये उपकेन्द्रों एवं उससे सम्बन्धित लाईनों पर ही लागू होगी। उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि पर नही।

कमश...............2

9. ट्र्नकी/सेमी ट्र्नकी (Semi Turnkey) में बंटवारे के सम्बन्ध में शुरू में 50 प्रतिशत ट्र्नकी (Turnkey) 25 प्रतिशत सेमी ट्र्नकी (Semi Turnkey) व 25 प्रतिशत विभागीय कार्य किया जायेगा एवं प्रगति के आधार पर समीक्षोपरान्त इसमें सम्बन्धित वि0वि0नि0लि0, के प्रबन्ध निदेशक द्वारा परिवर्तन किया जा सकेगा।

10. लोन की दशा में उसके कैसफ्लो (Cash-flow)/इनक्रीमेन्टल रेवन्यू/लोन व व्याज के भुगतान (re-payment) पर भुगतान (re-payment) सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में विचारोपरान्त ही संम्बन्धित प्रबन्ध निदेशक उक्त व्यवस्था क्रियान्वित कराने हेतु आदेश निर्गत करेगे।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

संख्या : --(1)--कार्य/चौदह--पाकालि/2010 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

1. प्रमुख सचिव (ऊर्जा)/वित्त उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि0, मध्यांचल/पूर्वांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल/लखनऊ/वाराणसी/आगरा/मेरठ/ट्रांस्को--लखनऊ/ केस्को--कानपुर ।
3. समस्त निदेशकगण (का0प्र0एवं प्रशा0)/वितरण/वाणिज्य/वित्त/उ0प्र0पा0का0लि0 शक्ति भवन, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (पारेषण) उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. अपर प्रबन्ध निदेशक से सम्बद्ध निजी सचिव, उ0प्र0 पा0 का0 लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. अपर सचिव--प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अराजपत्रित, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन,लखनऊ।
8. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण/पारेषण), उ0प्र0 पा0का0लि0 ।
9. मुख्य अभियन्ता (सामग्री प्रबन्ध),उ0प्र0 पा0का0लि0।
10. मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा)/वित्त उ0प्र0 पा0का0लि0,।
11. समस्त संयुक्त सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पा0का0लि0 ।
13. समस्त मुख्य लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/उपमुख्य लेखाधिकारी, उ0प्र0 पा0का0लि0 ।
14. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पा0का0लि0 शक्ति भवन, लखनऊ।
15. कम्पनी सचिव, विद्युत वितरण निगम लि0, मध्यांचल/ पूर्वांचल/ दक्षिणांचल/ पश्चिमांचल/ लखनऊ/वाराणसी/आगरा/मेरठ/ट्रांस्को--लखनऊ/केस्को--कानपुर ।

आज्ञा से,

(नन्द लाल)
निदेशक (का0 प्र0 एवं प्रशा)